FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम........................

भारत सिंह .... बनाम राज्य सरकार व अन्य

किस्म मुकदमा 88 RTAct नं. 131/2020 सन्........................

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.20	~~प्रार्थी~~/वादी/~~अपीलांट~~ के वकील श्री नरपत पुरोहित ने यह ~~प्रार्थना-पत्र~~/वाद/~~अपील~~ धारा 88 राजस्थान काश्तकारी/~~भू राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /~~प्रतिवादी~~/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 05.08.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
05/08/2020	वादी व वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 तहसीलदार बायतु का सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष प्रतिवादीगणों से वादी द्वारा कोई इत्तला नहीं चाही गई जिस कारण प्रतिवादी संख्या-2 से 4 व 6, 7 को तर्क किया गया। प्रतिवादी संख्या-7 बैंक के पास वादी का हिस्सा रहन नहीं रखा गया है। वादी वकील द्वारा दस्तावेजो की प्रति ग्राम पंचायत झाक द्वारा जारी वादी का प्रमाण-पत्र व चालू जमाबंदी ग्राम थलेसो की ढाणी (झाक) पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य के रूप में शपथ-पत्र पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या-5 के द्वारा उपस्थित होकर	ह.नि. भारतसिंह ह.नि. भंवरसिंह

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas

Date: 2020.09.11 17:29:19 IST

Reason: SelfAttested

शपथ - पत्र पेश कर वादी का सही नाम आनवसिंह पुत्र
रणजीतसिंह होना बताया गया जिसे शामिल पत्रावली
किया गया। वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार
है कि मौजा- थलेसो की ढाणी पटवार मण्डल- झाक
तहसील - बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर-
349 रकबा- 17.1508 हेक्टेयर व मौजा- झाक पटवार
मण्डल- झाक तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के खेत
खसरा नम्बर - 337 रकबा- 17.4744 हेक्टेयर की जमीन
वादी व प्रतिवादीगण संख्या - 2 से 6 की पैतृक व संयुक्त
खातेदारी की आई हुई है। जिसमें वादी का नाम आमसिंह
पुत्र अजीतसिंह राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया जबकि
वादी को उसके परिवार वाले, रिश्तेदार आदि आमसिंह
पुत्र अजीतसिंह व आनवसिंह पुत्र रणजीतसिंह दोनों
नामों से जानते व पुकारते हैं। आमसिंह पुत्र अजीतसिंह
वादी का घरेलू नाम है तथा आनवसिंह पुत्र रणजीतसिंह
वादी का दस्तावेजी नाम है। जो की वादी के नाम से
बने राशन कार्ड, आधार कार्ड, जोब कार्ड मतदाता पहचान
पत्र आदि में वादी का नाम आनवसिंह पुत्र रणजीतसिंह
दर्ज है। इसलिए मौजा- थलेसो की ढाणी व झाक में
वादी के नाम दर्ज खातेदारी में आमसिंह पुत्र अजीत-
सिंह के स्थान पर दस्तावेजी नाम आनवसिंह पुत्र
रणजीतसिंह किये जाने हेतु वादी द्वारा जरिये अधि-
वक्ता यह वाद पेश किया गया।

हमने वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय
बहस सुनी तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज राशन
कार्ड, मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, जोब कार्ड
बैंक पास बुक तथा ग्राम पंचायत झाक द्वारा जारी
प्रमाण-पत्र का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया
जिससे यह साबित होता है कि आमसिंह पुत्र अजीत-
सिंह तथा आनवसिंह पुत्र रणजीतसिंह दोनों एक ही
व्यक्ति के नाम है। इस नाम का ग्राम पंचायत झाक

सहायक कलक्टर
बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vya
Date: 2020.09.11 17:29:19 I
Reason: SelfAttested

व हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। आमसिंह पुत्र अजीतसिंह तथा आम्बासिंह पुत्र रणजीतसिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। इसलिए वादी का नाम आमसिंह पुत्र अजीतसिंह के स्थान पर आम्बासिंह पुत्र रणजीतसिंह राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना वाद स्वीकार किया जाकर मौजा - थलेसों की ढाणी पटवार मण्डल - झाक तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर ~~337 रकबा~~ - 349 रकबा - 17.1508 हेक्टेयर व मौजा - झाक पटवार मण्डल - झाक तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर - 337 रकबा - 17.4744 हेक्टेयर की भूमि में वादी का दर्ज नाम आमसिंह पुत्र अजीतसिंह के स्थान पर आम्बासिंह पुत्र रणजीतसिंह शुद्ध किया जाता है। तथा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा जारी होकर, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) ...	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 17:29:19 IST
Reason: SelfAttested

Jud/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. श्री विवेक व्यास R.A.S. .... मुकाम बायतु

आम्बासिंह .... बनाम तहसीलदार बायतु व अन्य

वकील ....

दावा बाबत रा० धारा 88 RTAct

मुकदमा नं. 131/20 .... सन् 2020

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री नरपत पूनड एड० .... मिनजानिब मुदई व —

— मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी

दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा-थलेसो की ढाणी पटवार मण्डल-झाक तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के खेत ख० नं०-349 रकबा-17.1508 हेक्टयर व मौजा-झाक पटवार मण्डल-झाक तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर-337 रकबा-17.4744 हेक्टयर की भूमि में वादी का दर्ज नाम आमासिंह पुत्र मजीतसिंह के स्थान पर आम्बासिंह पुत्र रणजीतसिंह शुद्ध किया जाता है तथा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

कौम .... ✓ .... मुबलिग .... ✓ .... बाबत् .... ✓ ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .... ✓ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक .... ✓ .... को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 08 2020 को जारी की गई।

दस्तखत (signature)

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराल हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराज हुकमनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 17:29:19 IST
Reason: SelfAttested

वादी बनाम प्रतिवादीगण

1. आम्बसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति - राजपूत निवासी - थलेसो की ढाणी (झाड)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु
2. भल्ला पत्नि नाथुसिंह
3. गोपालसिंह पुत्र भीमसिंह
4. दरियाकुंवर पत्नि भीमसिंह
5. भंवरसिंह पुत्र भीमसिंह
6. मोड़सिंह पुत्र भीमसिंह

जातियान - राजपूत निवासीयान - थलेसो की ढाणी (झाड) तहसील - बायतु जिला बाड़मेर

7. शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर (SDO)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vy
Date: 2020.09.11 17:29:19
Reason: SelfAttested